प्राक्कथन

बिहार राज्य के वित्त पर इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने, एवं राज्य विधायिका को वित्तीय आँकड़ों पर आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण के आगत को उपलब्ध कराने का प्रयोजन रखता है। यह प्रतिवेदन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, चौदहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन (एफ0एफ0सी0) तथा बजट अनुमान 2016 द्वारा उल्लिखित लक्ष्यों के विरूद्ध वित्तीय प्रदर्शन पर विश्लेषण करने का प्रयास करता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–I वित्त लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है, और यह 31 मार्च 2017 तक बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी एवं ऋण के पुनर्भुगतान की व्यय की प्रवृत्तियों तथा उधार प्रतिमान पर भी प्रकाश डालता है।

अध्याय–II विनियोग लेखा की लेखा परीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढंग का वर्णन करता है।

अध्याय–III विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों पर बिहार सरकार के अनुपालन की अनुसूची है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप की गई है।

इस प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

- वर्ष 2016–17 में जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय एवं पूंजी व्यय में वृद्धि हुई है, जबकि 2012–13 की तुलना में मुद्रास्फीति के लेखांकन के बाद 2016–17 में उनकी वृद्धि दर कम हो गई है। पूंजी निर्माण के विकास की दर, विशेष रूप से, काफी कम थी।

- राज्य ने बजट अनुमान 2016–2017, चौदहवें वित्त आयोग एवं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजस्व अधिशेष एवं जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष बकाया ऋणों के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया है।

- राज्य का प्राथमिक घाटा 2016–17 के दौरान ₹ 2,117 करोड़ (2012–13) से ₹ 8,288 करोड़ हो गया, जो यह दर्शाता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए लगातार अपर्याप्त थे।

- 2016–17 में राजस्व प्राप्तियाँ 2015–16 से ₹ 9,462 करोड़ (10 प्रतिशत) बढ़ी, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 19,005 करोड़ कम रही।

- 2016–17 में राजस्व व्यय 2015–16 से ₹ 11,149 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ी, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 15,176 करोड़ कम रही।

प्राक्कथन

- 2016–17 में पूंजीगत व्यय 2015–16 से ₹ 3,242 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ी, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 7,547 करोड़ कम रही।

- वर्ष दर वर्ष बढ़ रहे राज्य के स्व–राजस्व में 2016–17 में ₹ 1,490 करोड़ की आई कमी, मुख्य रूप से मद्य निषेध लागू होने से राजस्व के ₹ 3,112 करोड़ घटने के कारण हुई। इसी तरह से, नियंत्रणकारी गतिविधियों में वृद्धि के कारण राज्य उत्पाद का व्यय 2015–16 में ₹ 49.63 करोड़ से बढ़ कर 2016–17 में ₹ 91.96 करोड़ हो गया।

- राजस्व की बकाया राशि ₹ 6,327.12 करोड़ मार्च 2017 तक लंबित थी, इसमें से ₹ 801.75 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से लंबित है।

- राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 8,190.70 करोड़), वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 15,784.04 करोड़), पेंशन (₹ 12,514.52 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 8,757.44 करोड़) शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय (₹ 45,246.70 करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और गैर–योजना राजस्व व्यय (₹ 61,189 करोड़) का 74 प्रतिशत व्यय इस घटक पर है।

- विकासात्मक व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और शिक्षा सेवाओं पर व्यय कुल व्यय के अनुपात में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। यद्यपि, 2016–17 में कुल व्यय में शिक्षा पर व्यय का अंश पाँच वर्षों की अवधि में कम हो गया, जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य पर व्यय का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

- लागत वसूली में अंतर (31 प्रतिशत), पड़ोसी राज्यों, यथा झारखंड (8.47 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (20 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (-49 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (-87 प्रतिशत) से ज्यादा है, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में राज्य को अभी बहुत प्रयास करना होगा।

- 2012–17 के दौरान, सरकार की उधारी लागत तथा विभिन्न इकाईयों में निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण राज्य सरकार को ₹ 2,190.50 करोड़ की हानि हुई। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ का आकलन नहीं किया जा सकता।

- विभिन्न इकाईयों में ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज में विगत वर्षों में बढ़ोतरी हुई तथा 31 मार्च 2017 को यह ₹ 6,652.60 करोड़ था।

- 2016–17 में लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों से निधि के निवल उपलब्धता का प्रतिशत 19.15 प्रतिशत था जबकि उत्तर प्रदेश में 25.75 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 30.54 प्रतिशत, झारखंड में 32.43 प्रतिशत तथा छत्तीसगढ़ में 25.44 प्रतिशत था।

- 2016–17 के दौरान कुल अनुदानों/विनियोगों (₹ 1,69,351.63 करोड़) में से ₹ 41,353.31 करोड़ (24.42 प्रतिशत) की बचत हुई। ₹ 1,000 करोड़ एवं अधिक तथा कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक के उल्लेखनीय बचत 11 अनुदानों में कुल ₹ 26,316.01 करोड़ (38.07 प्रतिशत) के हुए थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान 10 अनुदानों से संबंधित 11 मामलों में ₹ 72.52 करोड़ से ₹ 3,350.96 करोड़ के बीच (मूल प्रावधान का 11.39 प्रतिशत से 69.33 प्रतिशत) की सतत् बचत हुई। 37 अनुदानों/विनियोगों में शामिल 46 मामलों में ₹ 11,677.83 करोड़ (प्रत्येक मामले में

₹ 10 लाख या उससे अधिक) के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

- वर्ष के दौरान ₹ 41,353.31 करोड़ के कुल बचत में से सिर्फ ₹ 29,771.11 करोड़ का अभ्यर्पण हुआ तथा ₹ 11,582.20 करोड़ (कुल बचत का 28.01 प्रतिशत) व्यपगत हुआ। आगे, ₹ 18,552.67 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल अभ्यर्पण का 62.32 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2017 के अंतिम कार्य दिवस को किया गया। 35 अनुदानों/विनियोजनों (कुल ₹ 3,421.66 करोड़) के अन्तर्गत 186 लेखा शीर्षों में शत्–प्रतिशत निधि (प्रत्येक मामलें में ₹ 5 लाख से अधिक) का अभ्यर्पण हुआ।

- वर्ष 1977–78 से 2015–16 के दौरान हुए ₹ 807.36 करोड़ के अधिकाई व्यय का नियमितीकरण राज्य विधायिका द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। 2016–17 में कोई आधिक्य व्यय नहीं था।

- 2016–17 के दौरान 17 विभागों में ₹ 19,036.99 करोड़ (उनके कुल व्यय ₹ 27,738.38 करोड़ का 68.63 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में हुआ। इनमें से ₹ 14,175.07 करोड (उनके कुल व्यय का 51.10 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2017 में हुआ।

- राज्य के आकस्मिकता निधि कोष (₹ 350 करोड़) को नियमित रूप से वर्ष दर वर्ष अस्थायी रूप से बढ़ाया गया। 2016–17 में राज्य विधायिका द्वारा आकस्मिकता निधि कोष को अस्थाई रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 5,787.85 करोड़ कर दिया गया। इसके तुलना में भारत सरकार का आकस्मिकता निधि कोष ₹ 500 करोड़ का है। 2016–17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 4,416 .63 करोड़ की राशि के 136 आहरण किये गये, जिनमें से कुल ₹ 2,726.35 करोड़ (61.73 प्रतिशत) के 61 आहरण संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गैर–आकस्मिक व्यय के लिए किया गया।

- वर्ष 2016–17 के दौरान विभागाध्यक्षों ने 26 प्राप्तियों एवं 87 व्यय मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 25,430.49 करोड़ के प्राप्तियों एवं ₹ 1,00,816.53 करोड़ के व्यय का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तिकाओं से नहीं किया।

- 21 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों (142 लेखाएँ) और 44 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों (1,029 लेखाएँ) का बकाया 1 से 40 साल तक का है।

- 32 विभागों द्वारा सहायक अनुदान विपत्रों पर आहरित ₹ 35,677.41 करोड़ के 2,107 उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2017 तक लंबित थे।

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलंब के कारण सार आकस्मिक विपत्रों (ए0सी0) पर आहरित ₹ 4,750.52 करोड़ के 15,575 विपत्र मार्च 2017 तक लंबित थे। इसमें शामिल ₹ 533.07 करोड़ (29.47 प्रतिशत) के 888 ए0सी0 विपत्रों को केवल मार्च 2017 में आहरित किया गया जिसमें से 151 ए0सी0 विपत्र (₹ 43.52 करोड़) को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित किया गया था।

प्राक्कथन

- आठ विभागों/संगठनों द्वारा आहरित ₹ 161.00 करोड़ के अस्थाई अग्रिम एवं अग्रदाय की राशि, 1985 से आगे तक समायोजन हेतु लंबित था। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ऐसी लंबित असमायोजित राशि दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम से भरा हुआ है।

- व्यय एवं राजस्व के गलत लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 157.54 करोड़ प्रत्येक का राजस्व अधिशेष में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।